वैदिक कालीन भारत में महिलाओं की वैवाहिक स्थिति

डॉ. राज बहादुर यादव

कन्या का विवाह वैदिक कालीन समाज में एक पुण्य कृत्य माना गया है और उनका विवाह परिपक्वावस्था में होने का प्रमाण वैदिक ग्रंथों में प्राप्त होता है। कन्या अपने पति के चुनाव के लिए पूर्णतः स्वतंत्र थी। ऋग्वेद और अथर्ववेद में ऐसी कन्याओं का उल्लेख है जो पत्नी की इच्छा करने वाले युवक के पास, पति की इच्छा से स्वयं जाती है। इसे स्पष्टतः गन्धर्व विवाह का रूप माना जा सकता है। ऋग्वैदिक कालीन विवाहों से स्पष्ट है कि इस समय माता–पिता अपनी पुत्रियों के लिए उपयुक्त वर नही खोजते थे। कन्याएँ स्वयं अपने लिए वर ढूँढ़ती थी। राक्षस या क्षात्र विवाह का भी एक उदाहरण हमें ऋग्वेद में मिलता है। विमर्द ने युद्ध में अपनी पत्नी को पाया। असुर विवाह का भी उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जिसमें वर धन देकर कन्या से विवाह करता था। किन्तु इस काल में भी इस प्रकार के विवाह को प्रशंसनीय नहीं समझा जाता था। जब कन्या में कुछ शारीरिक दोष होता था तो पिता दहेज देकर उसका विवाह करता था। इस युग में दहेज का भी उल्लेख प्राप्त होता है, जिसके अनुसार कुछ धनी व्यक्ति भी अपनी पुत्रियों के विवाह में दहेज देते थे। अथर्ववेद में एक ऐसा आख्यान है जिसके अनुसार एक पिता अपनी पुत्री के विवाह में वर को एक सौ गाय दहेज में दिया। प्रायः कन्या का विवाह बड़ी उम्र में होता था जो बाल–विवाह के अस्तित्ववान नहीं होने का प्रमाण है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार बिना पत्नी के मनुष्य अपूर्ण रहता है। उसके बिना यज्ञ भी अपूर्ण समझा जाता था। ऐतरेय ब्राह्मण में पत्नी को मित्र कहा गया है पति–पत्नी में विरोध इसलिए नहीं होता था कि दोनों के विचार समान होते थे। पत्नी स्वयं परिवार के सभी कार्यों की देखभाल करती थी। वृद्ध सास, श्वसुर, देवर, ननद सभी पर उसका नियंत्रण रहता था पत्नियाँ गुरूजनों का आदर करती थीं।